संख्या-883/1-10-2014-14(23)/2004

प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

गृह विभाग,

उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ :: दिनांक :: 05 नवम्बर, 2014

विषय- **वित्तीय वर्ष 2014-15 में दैवी आपदा राहत कार्यों के लिए गोताखोरों हेतु डाइविंग उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-पी0ए0सी0-तीन-514(4)/270, दिनांक 22.08.2014, जो आपको सम्बोधित है एवं प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त को पृष्ठांकित है, के क्रम में बाढ़ की विभिषिका एवं अन्य आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुये पी0ए0सी0 की प्रत्येक बाढ़ राहत कम्पनी में 14 प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम तैयार किये जाने के लिये विभिन्न प्रकार के 21 अदद डाइविंग उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से कुल रू0 1,54,00,000/- की धनराशि की स्वीकृति किये जाने की मांग की गयी है । अतः उक्त प्रयोजन हेतु मांग की गयी कुल धनराशि **रू0 1,54,00,000/- (रूपये एक करोड़ चौवन लाख मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।

4- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापित न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 883 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22.08.2014 के सन्दर्भ में।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।